## शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/330/2014

11/09/2014

यह शिकायत, शिकायतकर्ता श्री सुरेन्द्र साहू द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) के अंतर्गत अनावेदक जनसूचना अधिकारी, कार्यालय– जिला पंचायत रायपुर, जिला रायपुर (छ0ग0) के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

शिकायत यह है कि अनावेदक जनसूचना अधिकारी जिला पंचायत रायपुर से अधिनियम के अंतर्गत आवेदन दिनांक 15.12.13 प्रस्तुत कर सूचना/जानकारी मांगी गई थी परंतु इतने दिन समाप्त होने पर भी जानकारी नहीं मिली। प्रथम अपील की गई थी और उन्हें समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया था परंतु उसमें यह नहीं लिखा था कि जानकारी दी ही जायेगी इसलिए उपस्थित नहीं हुए।

शिकायतकर्ता ने जो आवेदन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया है उसमें लिखा है कि अपील कर रहे है परंतु कोई शुल्क जमा नहीं किया इसलिए इसे धारा 18 की शिकायत के रूप में मान्य किया गया।

अनावेदक को सूचना जारी कर आहूत किया गया। आज दिनांक 11.9.14 को अनावेदक श्री एस जोसेफ उपस्थित हुए। उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। उन्हें सुना भी गया। उनका पक्ष है कि आवेदन दिनांक 15.12.13 को प्राप्त होने के बाद अधिनियम में निर्धारित 30 दिवस की अवधि में ही पत्र क्रमांक 9445 दिनांक 7.1.14 द्वारा शिकायतकर्ता/आवेदक को 90 पृष्ठ की जानकारी के लिए प्रतिलिपि शुल्क 180/– जमा करने की सूचना भेजी गई थी इस पत्र की प्रतिलिपि जवाब के साथ संलग्न है। अनावेदक के अनुसार शुल्क जमा न होने के कारण जानकारी उन्हें नहीं दी जा सकी। जानकारी तैयार है।

अनावेदक का जवाब संतोषप्रद है। शिकायतकर्ता/आवेदक को शुल्क के रूप में 180/– जमा कर जानकारी प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था परंतु शुल्क जमा न होने से जानकारी उन्हें प्रदान नहीं की जा सकी। अतः यह पाया जाता है कि अनावेदक ने अपना कर्तव्य कर दिया है इसलिए उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं पाई जाती। शिकायतकर्ता/आवेदक अभी भी शुल्क जमा कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/–
( जवाहर श्रीवास्तव )
राज्य सूचना आयुक्त